अनुदान संख्या 44 – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 44 – DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	114771,54,00				
				130689,55,00	91324,06,22	-39365,48,78
पूरक	Supplementary	15918,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8019,42,19
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4355,61,00				
				5401,29,00	4940,59,72	-460,69,28
पूरक	Supplementary	1045,68,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (₹3936548.78 लाख) जुलाई 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1591801.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹3936548.78 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹1591801.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and constituted 30 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवायें	Major Head "2251" Secretariat- Social Services				
मू.	O.	22887.00			
			21415.60	20734.57	-681.03
पु.	R.	-1471.40			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits					
मू.	O.	230000.00				
पू.	S.	1.00		275001.00	274116.60	-884.40
पु.	R.	45000.00				
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health					
मू.	O.	4464656.00				
पू.	S.	365039.00		4391352.59	3253537.88	-1137814.71
पु.	R.	-438342.41				
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family welfare					
मू.	O.	292746.00				
पू.	S.	3.00		280752.86	248125.55	-32627.31
पु.	R.	-11996.14				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्व क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	878847.00				
पू.	S.	6038.00		30814.70	. .	-30814.70
पु.	R.	-854070.30				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	5381071.00				
पू.	S.	1072752.00		7043157.85	5192196.92	-1850960.93
पु.	R.	589334.85				

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	195437.00				
पू.	S.	147967.00		213387.21	132579.12	-80808.09
पु.	R.	-130016.79				

(I) छिहत्तर शीर्षों के अंतर्गत ₹3757067.00 लाख का प्रावधान (₹6038.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह अप्रयुक्त रहा, इस में से ₹3752310.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया :–

(I) Provision of ₹3757067.00 lakhs (including supplementary grant of ₹6038.00 lakhs) remained wholly unutilized under seventy six heads; of these ₹3752310.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(A) Major Head "2210" -

क) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी – मेडिकल स्टोर डिपो – हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए खसरे के टीके की खरीद" – ₹767.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रियों के लिए खसरे का टीका नहीं खरीदने के कारण।

(a) "Urban Health Services - Allopathy - Medical Store Depots - Procurement of Meningitis Vaccine for Inoculation of Haj Pilgrims" - ₹767.00 lakhs - due to non-procurement of Meningitis vaccine for Haj pilgrims owing to COVID -19 pandemic.

ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(i) "एलोपैथी – स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹5128.00 लाख;

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹1563.00 लाख; और

(b) "Medical Education, Training and Research"-

(i) "Allopathy - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹5128.00 lakhs;

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹1563.00 lakhs; and

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹809.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकल नॉडीय अभिकरण प्रचालित नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) "आरक्षित निधियों/जमा लेखा में अंतरण" –

(1) "राष्ट्रीय निवेश निधि (एन आई एफ़) में अंतरण के लिए निधि" – ₹600000.00 लाख – कोविड –19 महामारी के कारण प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अधीन परियोजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों के तहत निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण।

(2) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से सहायता" – ₹7500.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान कम किए जाने के कारण ।

(ग) "जन स्वास्थ्य – आरक्षित निधि/जमा लेखा में अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ़) से सहायता – ₹2539.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान कम किए जाने और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यशील उप शीर्ष के अधीन निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण।

(घ) "सामान्य – आरक्षित निधि/जमा लेखा में अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से सहायता – ₹576341.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2211 – "आरक्षित निधि/जमा लेखा में अंतरण–प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण के लिए निधि" – ₹11144.00 लाख।

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹809.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-submission of utilisation certificates and non-operationalising of Single Nodal Agency account by the Union Territories.

(iv) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Account" -

(1) "Fund for transfer to National Investment Fund (NIF)" - ₹600000.00 lakhs - due to non-utilisation of funds under various activities of projects under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) owing to COVID-19 pandemic.

(2) "Support from Pradhan Mantri Swatsthya Suraksha Nidhi (PMSSN)"- ₹7500.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Public Health - Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Support from National Investment fund (NIF)" - ₹2539.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-utilisation of funds under functional sub head by Union Territories without Legislature.

(d) "General- Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Support from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" – ₹576341.00 lakhs; and

(B) Major Head "2211"– "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" – ₹11144.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अधीन प्रावधान लेखाकरण कार्यविधि को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान कम करने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" –

क) "परिवार कल्याण – निदेशन और प्रशासन" –

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹615.00 लाख;

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹25604.00 लाख;

ख) "परिवार कल्याण – प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" –

(i) "एनआरएचएम – आरसीएच फ़्लैक्सीबल पूल" – ₹174431.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ़्लैक्सीबल पूल" –₹3363.00 लाख ;

(iii) "आशा लाभ पैकेज" – ₹3790.00 लाख;

(ग) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें –एलोपैथी–केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना– औषधालय और अस्पताल बनान. ा" – ₹3303 लाख;

(घ) "जन स्वास्थ्य –रोगों का निवारण और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम"– ₹28461.00 लाख;

(ii) "संचारी रोगों के लिए फ़्लैक्सीबल पूल"– ₹17885.00 लाख;

(iii) "गैर संचारी रोगों के लिए फ़्लैक्सीबल पूल"– ₹5242.00 लाख;

(iv) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण"– ₹1197.00 लाख;

Provisions under the above two heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-finalisation of accounting procedure.

(C) Major Head "2552" –

(a) "Family Welfare-Direction and Administration" –

(i) "Regional Health Offices" – ₹615.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Maintenance" – ₹25604.00 lakhs;

(b) "Family Welfare – Reproductive and Child Health Programme" -

(i) "NRHM - RCH Flexible Pool" – ₹174431.00 lakhs;

(ii) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" – ₹3363.00 lakhs;

(iii) "ASHA Benefit Packages" - ₹3790.00 lakhs;

(c) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries and Hospitals" – ₹3303.00 lakhs;

(d) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(i) "National AIDS and STD Control Programme"- ₹28461.00 lakhs;

(ii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" – ₹17885.00 lakhs;

(iii) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" –₹5242.00 lakhs;

(iv) "Strengthening of State Drug Regulatory System" – ₹1197.00 lakhs;

(ङ) "जन स्वास्थ्य – अन्य व्यय" – आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना(पीएमजेएवाई) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹43527.00 लाख;

(च) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी"–

(i) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोइ क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर"– ₹5700.00 लाख;

(ii) "रीजनल इंस्टीट्यूट आफ़ पैरा मेडिकल एंड नर्सिन्ग साइंसेज (आरआईपीएएनएस) आईजोल" – ₹8887.00 लाख;

(iii) "स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन"– ₹27106.00 लाख;

(iv) "नार्थ–ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग" – ₹38351.00 लाख (₹3351.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(v) "रीजनल इंस्टीट्यूट आफ़ मेडिकल साइंसेज इंफ़ाल" – ₹46563.00 लाख रुपए (₹2686.00 लाख रुपए के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त सोलह शीर्षों के अधीन प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/या. `जनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि लौटाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "जन स्वास्थ्य – अन्य व्यय"– ₹650.00 लाख –उत्तर पूर्वी राज्यों में योजनाओं/परियोजनाओं के अधीन निधियों का धीमा आमेलन

(ii) "अवसंरचना रखरखाव"– ₹5371.00 लाख

(iii) आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी"– ₹8267.00 लाख;

(e) "Public Health – Other Expenditure - Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" – ₹43527.00 lakhs;

(f) "Medical Education, Training and Research Allopathy" –

(i) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur"- ₹5700.00 lakhs;

(ii) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" – ₹8887.00 lakhs;

(iii) "Human Resources for Health and Medical Education"– ₹27106.00 lakhs;

(iv) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" –₹38351.00 lakhs (including supplementary grant of ₹3351.00 lakhs); and

(v) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" –₹46563.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2686.00 lakhs).

Provisions under the above sixteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Public Health – Other Expenditure"- ₹650.00 lakhs - due to low absorption of funds under the schemes/projects in the North Eastern States.

(ii) "Infrastructure Maintenance"- ₹5371.00 lakhs;

(iii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹8267.00 lakhs;

(iv) "जन स्वास्थ्य–रोगों का निवारण और नियंत्रण"– ₹840.00 लाख;

(v) "एनआरएचएम–आरसीएच फ़्लैक्सिबल पूल"– 10915.00 लाख;

(vi) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – फ़्लैक्सिबल पूल"– ₹749.00 लाख;

(vii) "संचारी रोगों के लिए फ़्लैक्सिबल पूल"– ₹1450.00 लाख;

(viii) "आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) –राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण"– ₹13261.00 लाख;

(ज) "जनजातीय क्षेत्र–उप–योजना" –

(i) "अवसंरचना रखरखाव"– ₹12541.00 लाख

(ii) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹4277.00 लाख;

(iii) "एन आर एच एम–आरसीएच फ़्लैक्सिबल पूल"– ₹38758.00 लाख;

(iv) "संचारी रोगों के लिए फ़्लैक्सिबल पूल"– ₹4834.00 लाख;

(v) "गैर संचारी रोगों के लिए फ़्लैक्सिबल पूल"– ₹1241.00 लाख;

(vi) "आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना–राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण"– ₹6869.00 लाख;

(i) "आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण" –

(i) "राष्ट्रीय निवेश निधि (एनएचएम) में अंतरण के लिए निधि"– ₹82456.00 लाख; और

(iv) "Public Health-Prevention and Control of Diseases" - ₹840.00 lakhs;

(v) "NRHM-RCH Flexible Pool" – ₹10915.00 lakhs;

(vi) "National Urban Health Mission – Flexible Pool" – ₹749.00 lakhs;

(vii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" – ₹1450.00 lakhs;

(viii) "Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" – ₹13261.00 lakhs;

(h) "Tribal Area Sub - Plan" –

(i) "Infrastructure Maintenance" – ₹12541.00 lakhs;

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹4277.00 lakhs;

(iii) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹38758.00 lakhs;

(iv) "Flexible Pool for Communicable Diseases" – ₹4834.00 lakhs;

(v) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" – ₹1241.00 lakhs;

(vi) "Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" – ₹6869.00 lakhs;

(i) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account"–

(i) "Fund for Transfer to National Investment Fund (NHM)" - ₹82456.00 lakhs; and

(ii) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) को अंतरण के लिए निधियां"– ₹254951.00 लाख।

उपर्युक्त पंद्रह शीर्षों के अधीन प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि लौटा दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601"–केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"–आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण–प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण" – ₹1592393.00 लाख – लेखाकरण कार्यविधि को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

(ड़ा) मुख्य शीर्ष "3602" – केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"–

क) "केंद्रीय सहायता/अंश – स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹10257.00 लाख;

ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹3124.00 लाख; और

ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना– स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹1619.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अधीन प्रावधान एकल नोडीय अभिकरण के प्रचालन में देरी, पूर्ववर्ती वर्ष के उपयोग प्रमाण पत्र नहीं मिलने और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पास अप्रयुक्त शेष की उपलब्धता के कारण अप्रयुक्त रहे।

घ) "आरक्षित निधि/जमा लेखा में अंतरण–प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण I" – ₹57671.00 लाख –वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर कटौती किए जाने और लेखाकरण कार्यविधि को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

(ii) "Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" – ₹254951.00 lakhs.

Provisions under the above fifteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(D) Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account – Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" – ₹1592393.00 lakhs - due to non-finalisation of accounting procedure.

(E) Major Head "3602"- "Centrally Sponsored Schemes" –

(a) "Central Assistance/Share - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹10257.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Human Resources for Health and Medical Education" -₹3124.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹1619.00 lakhs.

Provision under the above three heads remained unutilised due to delay in operationalising of Single Nodal Agency Account, non-submission of utilization certificates and availability of unspent balances of previous year with the Union Territory of Jammu and Kashmir.

(d) "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account – Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" – ₹57671.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-finalisation of accounting procedure.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अधीन पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी– अस्पताल और औषधालय" –

क) "सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली"– ₹141317.00 लाख का मूल प्रावधान ₹4720.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹146037.00 लाख तक बढाया गया था। तथापि, ₹9912.36 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत विभिन्न पदों पर 300 नव नियुक्तों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने और कोविड–19 महामारी के कारण व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान को घटाने से हुई।

ख) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹69810.00 लाख का मूल प्रावधान ₹6389.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹76199.00 लाख रुपए तक बढाया गया । तथापि, ₹14610.29 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत रिक्त पदों को नहीं भरने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम रसीदें प्राप्त होने और व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती करने से हुई।

(खा) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान–एलोपैथी–अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली"– ₹380000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹3000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹383000.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि ₹12550.97 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत निर्माण कार्यक्रमों के नहीं होने, श्रमशक्ति आऊटसोर्स करने के लिए संविदा को अंतिम रूप नही दिए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण कम आपूर्तियों और सामग्रियों की खरीद के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अधीन प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के समक्ष दर्शाई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2210" remained wholly unutilised under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy – Hospital and Dispensaries" -

(a) "Safdarjang Hospital, New Delhi" – the original provision of ₹141317.00 lakhs was augmented to ₹146037.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4720.00 lakhs. However, there was a saving of ₹9912.36 lakhs (including supplementary grant) - due to non-joining of 300 new incumbents to various posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure due to COVID-19 pandemic.

(b) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" – the original provision of ₹69810.00 lakhs was augmented to ₹76199.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6389.00 lakhs. However, there was a saving of ₹14610.29 lakhs (including supplementary grant) - due to non- filling up of vacant posts, less receipts of leave travel concession, medical re-imbursement claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" – the original provision of ₹380000.00 lakhs was augmented to ₹383000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹12550.97 lakhs (including supplementary grant) - due to non-execution of construction activities, non-finalisation of contract for outsourcing of manpower and procurement of less supplies & materials owing to COVID-19 pandemic.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" — जन स्वास्थ्य" —

क) "निदेशन और प्रशासन"—विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना"— ₹5275.00 लाख का मूल प्रावधान ₹4821.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹10096.00 लाख तक बढाया गया, जो तथापि, ₹2251.86 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को नहीं भरने, कम यात्रायें करने, कोविड—19 महामारी के कारण पीत बुखार टीकाकरण के लिए कम आपूर्ति और सामग्री की खरीद होने से अप्रयुक्त रहा।

ख) "रोग निवारण और नियंत्रण" —

(i) "राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) नई दिल्ली"— ₹6500.00 लाख का मूल प्रावधान ₹12140.00 लाख का पूरक प्रावधान प्राप्त करके ₹18640.00 लाख रुपए तक बढाया गया, जो तथापि, ₹9211.01 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को नहीं भरने, और कोविड—19 महामारी के कारण कम यात्रायें करने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "आपातकालीन महामारी तैयारी और अनुक्रिया के लिए आपूर्तियों और सामग्रियों की खरीद"—पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹200018.00 लाख की निधि का प्रावधान किया गया जो, तथापि, ₹88724.23 लाख रुपए की सीमा तक राज्यों के आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के लिए मांग पूरी करने हेतु बडी संख्या में दान प्राप्त होने से आपूर्तियों और सामग्रियों की कम खरीद होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2210" - "Public Health" -

(a) "Direction and Administration - Port Health Establishment including Airport Organisation" - the original provision of ₹5275.00 lakhs was augmented to ₹10096.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4821.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2251.86 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and procurement of less supplies & materials for yellow fever vaccination owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi" – the original provision of ₹6500.00 lakhs was augmented to ₹18640.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12140.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹9211.01 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "Procurement of Supplies and Materials for Emergency Epidemic Preparedness and Response" - funds of ₹200018.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹88724.23 lakhs - due to non-procurement of supplies and material owing to receipt of large number of donations towards fulfilment of demand for essential medical equipments of the States.

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹12503.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गईं, जो, तथापि, ₹6753.50 लाख की सीमा तक भारत कोविड–19 आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी अनुक्रिया पैकेज (चरण-II) के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "National Rural Health Mission" - funds of ₹12503.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹6753.50 lakhs - due to receipt of less proposals from the Union Territories under India COVID-19 Emergency Response of Health System Preparedness Package (Phase-II).

ग) "अन्य व्यय – स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया" – ₹1313.00 लाख का मूल प्रावधान ₹4575.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹15888.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि ₹12567.00 लाख रुपए की सीमा तक कोविड–19 महामारी के दूसरे वेरिएंट के प्रति खरीद के लिए अतिरिक्त दवाओं/नई दवाओं को अनुमोदन नहीं मिलने के कारण ईसीआरपी चरण -II के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(c) "Other Expenditure - Health Sector Disaster Preparedness and Response" – the original provision of ₹1313.00 lakhs was augmented to ₹15888.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹14575.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹12567.00 lakhs - due to non-utilisation of funds under ECRP phase-II owing to non-approval of additional/newer choices of drugs for procurement against omicron variant of COVID-19.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं –केंद्रीय सहायता/अंश–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹53723.00 लाख का मूल प्रावधान ₹147965.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹201688.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, ₹118071.56 लाख की सीमा तक संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली और पुड्डुचेरि द्वारा निधियां जारी करने के लिए व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes- Central Assistance/Share - National Rural Health Mission" – the original provision of ₹53723.00 lakhs was augmented to ₹201688.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹147965.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹118071.56 lakhs - due to non-fulfilment of Department of Expenditure's conditionalities for release of fund by the Union Territory of Delhi and Puducherry.

(IV) मुख्य शीर्ष "2251" – सचिवालय–स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" – ₹2151.51 लाख की बचत (₹22882.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरने, कोविड–19 महामारी के कारण कम छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा दावों की प्राप्ति और कम यात्रायें करने और व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान को घटाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2251" - Secretariat - Department of Health & Family Welfare" - saving of ₹2151.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22882.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession and medical claims, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(क) "निदेशन और प्रशासन"–

(i) "स्वास्थ्य सेवायें महानिदेशालय"– ₹1091.18 लाख की बचत (₹6861.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण व्यय की धीमी गति और मदों की कम खरीद के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधानों में कटौती के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" – ₹1115.61 लाख की बचत (₹3500.0 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम चिकित्सा और यात्रा दावे प्राप्त होने, श्रमशक्ति को आउट्सोर्स करने के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और मेडिसिन में इलेक्ट्रानिक रिसोर्सेज के लिए अग्रिम भुगतान जारी नहीं करने के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" – ₹9467.31 लाख की बचत (₹171500.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, अन्य स्थापना संबंधित व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और व्यय की धीमी गति के कारण व्यय मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधानों में कटौती के कारण हुई।

(ग) "चिकित्सा स्टोर डिपो" –

(i) "डिपो"– ₹1468.52 लाख की बचत (₹6377.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कार्य की धीमी गति और कोविड–19 महामारी के कारण विक्रेताओं से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Directorate General of Health Services" - saving of ₹1091.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6861.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure and less procurement of articles owing to COVID- 19 pandemic.

(ii) "National Medical Library" - saving of ₹1115.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and tour claims, non-finalisation of tender for outsourcing of manpower and non-release of advance payment to Electronic Resources in Medicine (ERMED).

(b) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals"- saving of ₹9467.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹171500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards other establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(c) "Medical Stores Depots" -

(i) "Depots"- saving of ₹1468.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6377.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of work and non-receipt of bills from vendors owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद" – ₹1757.38 लाख की बचत (30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण विक्रेताओं से कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "Purchase of Materials in India and Abroad" - saving of ₹1757.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to receipt of less bills from vendors owing to COVID-19 pandemic.

(घ) "अस्पताल और औषधालय" –

(d) "Hospital and Dispensaries" -

(i) "सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइकेटरी, रांची"– ₹1476.59 लाख की बचत (₹10081.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और कोविड–19 के कारण व्यय की धीमी गति के कारण हुई।

(i) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of ₹1476.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10081.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and slow pace of expenditure owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "कलावती सरन चिल्ड्रेन हास्पिटल, नई दिल्ली" – ₹1509.88 लाख की बचत (₹13983.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा अनुसंधान विभाग में संविदात्मक कर्मचारियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के कम दावे प्राप्त होने और कोविड–19 महामारी के कारण आपूर्ति और सामग्री/मदों की कम खरीद के कारण हुई।

(ii) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" – saving of ₹1509.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13983.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards contractual staff of Department of Medical Research, receipt of less claims for repairs & maintenance of equipments and procurement of less supply and materials/articles owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(B) "Medical Education, Training and Research"-

(क) "एलोपैथी" –

(a) "Allopathy" -

(i) "वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली" –₹654.00 लाख की बचत (₹6763.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(i) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute Delhi University, Delhi" - saving of ₹654.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6763.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(ii) "कैंसर अनुसंधान"– ₹1468.43 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति, संस्थान के पास पिछले वर्ष की शेष राशियों की उपलब्धता, आईईसी के कम प्रचार अभियान और स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(iii) "आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर"– ₹9211.00 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशियों की उपलब्धता, संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र भवन सौंपने में हुई देरी के कारण उपकरणों और अन्य अवसंरचना की खरीद नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण – केंद्रीय सडक और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ़) से सहायता" –₹10292.58 लाख की बचत (₹230313.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अधीन परियोजना के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) "जन स्वास्थ्य" –

(ii) "Cancer Research" – saving of ₹1468.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to reduction of provisions at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure, availability of unspent balances of previous year with the Institutes, less publicity campaign of IEC and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(iii) "Grants to All India Institute of Speech and Hearing, Mysore" – saving of ₹9211.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the institute, non-procurement of equipments and other infrastructure owing to delay in handing over of Centre of Excellence building to the institute.

(b) "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Support from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)"- saving of ₹10292.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹230313.00 lakhs) was due to requirement of less funds under various activities of projects under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana(PMSSY) owing to COVID-19 pandemic.

(C) "Public Health"-

क) "निदेशन और प्रशासन–संचारी बीमारियों के लिए फ़्लैक्सिबल पूल"– ₹184773.15 लाख की बचत (₹269962.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों को नहीं भरे जाने, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसी) के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने, राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन तपेदिक रोधी दवाओं/मशीनों की कम खरीद और कम प्रचार अभियान के कारण हुई ।

ख) "रोग निवारण और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹46810.43 लाख की बचत (₹259389.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्लड ट्रांसफ़्यूजन सेवा का कार्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अंतरित किए जाने और सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसायटी से एंटी रिट्रोवायरल दवाओं की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹796.57 लाख की बचत (₹1690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने, और कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेय, ह्रदय रोग और अभिघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹551.00 लाख की बचत (₹1551.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)कोविड–19 महामारी के कारण कम कार्यकलाप करने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Flexible Pool for Communicable Diseases"- saving of ₹184773.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹269962.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals for National Vector Borne Disease Control (NVBDC) programme, less procurement of anti-TB drugs/ equipments/machines under National TB Eradication Programme and less publicity campaign.

(b) "Prevention and Control of Diseases"-

(i) "National AIDS & STD Control Programme" - saving of ₹46810.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹259389.00 lakhs) was due to transfer of work of Blood Transfusion Services (BTS) to Directorate General of Health Services and non-receipt of proposals for procurement of Anti-Retroviral (ARV) Drugs from Central Medical Services Society.

(ii) "National Mental Health Programme"- saving of ₹796.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1690.00 lakhs) was due to non-submission of utilisation certificates and receipt of less proposals from implementing agencies.

(iii) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke" - saving of ₹551.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1551.00 lakhs) was due to carrying out less activities owing to COVID-19 pandemic.

(iv) "वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम" – ₹1381.66 लाख की बचत (₹6728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीजीआईएमईआर चंडीगढ के जरा परिचर्या और पुनर्वास केंद्र का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

(v) "संचारी रोगों के लिए फ़्लेक्सिबिल पूल"– ₹1140.53 लाख की बचत (₹2168.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, और राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन निधियां जारी करने के लिए व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण हुई ।

(vi) "गैर संचारी रोगों के लिए फ़्लेक्सिबिल पूल" – ₹1309.46 लाख की बचत (₹1639.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण व्यय की धीमी गति, और स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई ।

(vii) एनसीडीसी ब्रांचों की स्थापना और सुदृढीकरण और स्वास्थ्य पहल– जूनोटिक रोगों और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की तैयारी और नियंत्रण, वायरल हेपेटाइटिस, एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध की निगरानी के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय"– ₹1155.63 लाख की बचत (₹4000.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम यात्रायें करने और लियोफ़िलाइजर और डीप फ्रीजर और स्वीक्वेंसिंग कार्य के लिए रीजेंटों की खरीद नहीं होने के कारण हुई।

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण–भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण"– ₹604.56 लाख की बचत (₹28835.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(iv) "National Programme for Health Care for the Elderly"- saving of ₹1381.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6728.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal for Geriatic Care and Rehabilitation Centre of PGIMER, Chandigarh.

(v) "Flexible Pool for Communicable Diseases"- saving of ₹1140.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2168.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of proposals from Union Territories and non-fulfilment of Department of Expenditure's conditionalities for release of funds under National Tuberculosis Elimination Programme(NTEP).

(vi) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - saving of ₹1309.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1639.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, slow pace of expenditure owing to COVID-19 pandemic and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(vii) "Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives-Inter Sectoral Co-ordination for Preparation and Control of Zoonotic diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance" - saving of ₹1155.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and non-procurement of Lyophilizer Deep Freezer and Reagents for sequencing work.

(c) "Prevention of Food Adulteration - Food Safety and Standards Authority of India" - saving of ₹604.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28835.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "औषधि नियंत्रण–केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संग. ठन"– ₹1917.29 लाख की बचत (₹13703.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायालयों में मामले लंबित होने के कारण पदों को नहीं भरे जाने, कार्यालय उपकरणों और फ़र्नीचरों की कम खरीद, कम यात्रायें करने, आई जी आई विमानपत्तन, नई दिल्ली पर मिनी ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों का उपयोग करने और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा साझा सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिपूर्ति के दावे नहीं करने के कारण हुई।

(d) "Drug Control - Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹1917.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13703.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to pending court cases, less procurement of office equipments and furniture, less tours undertaken, utilisation of less funds by Central Public Works Department for setting up of mini Drugs Testing Labs at IGI Airport, New Delhi and non-reimbursement of claim for maintenance of common services by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).

(ग) "सेरा/वेक्सीन का निर्माण–पास्चर इंस्टीट्यूट आफ़ इंडिया, कुन्नूर को अनुदान"– ₹988.00 लाख की बचत (₹6774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किए जाने और रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(e) "Manufacture of Sera/Vaccine - Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - saving of ₹988.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6774.00 lakhs) was due to non-acquiring of land for establishing new vaccine manufacturing unit and non-filling up of vacant posts.

(घ) "जन स्वास्थ्य प्रयोगशालायें–केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली"– ₹917.26 लाख की बचत (₹5566.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई ।

(f) "Public Health Laboratories - Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹917.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5566.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-utilisation of funds by Central Public Works Department.

(ङ) "अन्य व्यय"–

(i) "राष्ट्रीय आरोग्य निधि"– ₹8214.14 लाख की बचत (₹10500.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रोगियों से वित्तीय सहायता के लिए व्यवहार्यता प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(g) "Other Expenditure" -

(i) "Rashtriya Arogya Nidhi" - saving of ₹8214.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for financial assistance from patients owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "केंद्रीय योजनाओं के अधीन नई पहलें"– ₹2169.70 लाख की बचत (₹3079.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम प्रचार अभियान और राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अधीन राज्य संगठनों को सहायता अनुदान जारी नहीं करने के कारण हुई।

(iii) "आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास"– ₹3538.56 लाख की बचत (₹6405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिह्नित मेडिकल कालेजों को अपेक्षित भूमि के आवंटन के लिए प्राधिकारियों से सहमति प्राप्त होने में देरी, और कोविड–19 महामारी के कारण हैंड आन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं चलाने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य" –

क) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)–राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण –₹143768.93 लाख की बचत (₹394284.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)–राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ।"– ₹83091.00 लाख की बचत (₹119971.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ; और

ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)–राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण"– ₹37926.00 लाख की बचत (₹62086.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अधीन बचत व्यय की धीमी गति, कोविड–19 महामारी के कारण आयुष्मान कार्ड के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए कम कार्यकलाप और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान को कम करने के कारण हुई ।

(ii) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of ₹2169.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3079.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less publicity campaigns and non-release of Grants-in- aid to State organisations under National Organ Transplant Programme.

(iii) "Human Resources Development for Emergency Medical Services" - saving of ₹3538.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6405.00 lakhs) was due to delay in obtaining concurrence from authorities for allocation of requisite land to the identified medical colleges and non-conducting of hands-on training courses owing to COVID-19 pandemic.

(D) "General" –

(a) "Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority(PMSSN)" - saving of ₹143768.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹394284.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹83091.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹119971.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹37926.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62086.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow pace of expenditure, less identification activities of beneficiaries for Ayushman Cards owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "अंतराष्ट्रीय सहयोग–चिकित्सा और जन स्वास्थ्य संबंधी अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुदान"– ₹783.44 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण सम्मेलन आयोजित नहीं होने के कारण हुई।

(d) "International Cooperation - Grants for International Conferences on Medical and Public Health" - saving of ₹783.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-holding of conferences owing to COVID-19 pandemic.

(VI) "मुख्य शीर्ष "2211"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन हुई:–

(का) "निदेशन और प्रशासन"–

क) "एनआरएचएम–आरसीएच फ़्लैक्सिबिल पूल"– ₹6766.54 लाख की बचत (175590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अधीन कम दवाओं की खरीद और आपूर्ति और औपचारिकतायें पूरी नहीं होने के कारण केंद्रीय मेडिकल सर्विस सोसायटी सीएमएसएस) को निधियां जारी नहीं करने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

ख) "एनआरएचएम के राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम का सुदृढीकरण"– ₹1513.42 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 15001.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक सेवाओं के दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

ग) "अवसंरचना रखरखाव–विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र"– ₹565.24 लाख की बचत (₹3428.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम निधियों का उपयोग करने के कारण हुई ।

(ख) "प्रशिक्षण"–

क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली"– ₹584.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7048.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास पूर्ववर्ती वर्ष की अप्रयुक्त राशि की उपलब्धता के कारण हुई ।

(VI) Under Major Head "2211" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" -

(a) "NRHM-RCH Flexible Pool" - saving of ₹6766.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹175590.00 lakhs) was due to procurement of less drugs and supplies under Pulse Polio Immunisation Programme and non-release of funds to Central Medical Services Society (CMSS) owing to pending formalities and receipt of less claims.

(b) "Strengthening National Progamme Management of the NRHM"- saving of ₹1513.42 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-receipt of claims for professional services.

(c) "Infrastructure Maintenance -UTs without legislature" - saving of ₹565.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3428.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by Union Territories without Legislature.

(B) "Training" -

(a) "National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi" - saving of ₹584.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7048.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to availability of unspent balances of previous year with the institute.

ख) "इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर पापुलेशन साइंसेज, मुम्बई"– ₹1162.25 लाख की बचत (₹8000.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए अवसंरचना विकास परियोजना (एनआईडीपी) चरण–II में कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

ग) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ"– ₹1016.33 लाख की बचत (₹2918.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक मरम्मत और रखरखाव के रूप में कम निधि के उपयोग और लंबित औपचारिकताओं के कारण आउटसोर्स सेवाओं के लिए बिलों का निबटान नहीं होने के कारण हुई ।

(गा) "अनुसंधान और मूल्यांकन"–

क) "जनांककीय और अन्य संचार अनुसंधान"– ₹507.36 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2796.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों में सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू नहीं होने और पूर्ववर्ती वर्ष के अप्रयुक्त शेष उपलब्ध होने के कारण हुई ।

ख) "स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन"– ₹1536.01 लाख की बचत (₹3522.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन नहीं कराये जाने के कारण हुई ।

(घ) "जन शिक्षा–स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए)"– ₹3169.19 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार और सामाजिक मीडिया जैसे प्रो बोनो प्लेटफ़ार्म पर संदेशों के प्रसारण पर निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण हुई ।

(b) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹1162.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to slow progress of work in New Infrastructure Development Project (NIDP) Phase-II by Central Public Works Department.

(c) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" - saving of ₹1016.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2918.00 lakhs) was due to less utilization of funds towards annual repairs and maintenance work by Central Public Works Department and non-clearance of bills for outsourced services pending formalities.

(C) "Research and Evaluation" -

(a) "Demographic and Other Communication Research" - saving of ₹507.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2796.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-implementation of 7th CPC recommendations in some of the Population Research Centers and availability of unspent balances of previous year.

(b) "Health Surveys and Research Studies" - saving of ₹1536.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3522.00 lakhs) was due to non-conducting of health surveys and research studies owing to COVID-19 pandemic.

(D) "Mass Education - Swastha Nagrik Abhiyan (SNA)" - saving of ₹3169.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds towards advertisement and publicity and shifting of focus by disseminating messages across pro-bono platforms like social media.

(ङ़) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम– एनआरएचएम–आरसीएच फ़्लैक्सिबल पूल"– ₹6689.68 लाख की बचत (₹16598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण हुई ।

(चा) "अन्य सेवायें और आपूर्तियां"–

क) "गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन"– ₹1749.52 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)' हुई; और

ख) "परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति"– ₹1625.11 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अधीन बचतें खरीद अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(छा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे में अंतरण–राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण के लिए निधि"– ₹5214.39 लाख की बचत (₹6054.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की कम गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी करने और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601"–"केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"–बचत निम्नलिखित शीर्षों के अधीन हुईः–

(का) 'केंद्रीय सहायता/अंश" –

क) "राज्य औषधि विनियामक तंत्र का सुदृढीकरण"– ₹5861.00 लाख की बचत (₹10065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।

(E) "Reproductive & Child Health Programme - NRHM-RCH Flexible Pool" - saving of ₹6689.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16598.00 lakhs) was due to non-fulfillment of Department of Expenditure's conditionalities by Union Territories without Legislature.

(F) "Other Services & Supplies" -

(a) "Social Marketing of Contraceptives" - saving of ₹1749.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs); and

(b) "Free supply of Family Planning Material" - saving of ₹1625.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from procurement agencies.

(G) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to National Investment Fund (NHM)" - saving of ₹5214.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6054.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure and less transfer owing to less utilization of funds by Union Territories without legislature.

(VI) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹5861.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10065.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

ख) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन"— ₹31870.00 लाख की बचत (₹67639.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी करने और राज्य सरकारों द्वारा व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण हुई ।

(b) "National Urban Health Mission" - saving of ₹31870.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67639.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure and non-fulfillment of Department of Expenditure's conditionalities by State Governments.

ग) "तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम / योजनायें"— ₹2844.17 लाख की बचत (₹17599.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय जरियाट्रिक केंद्र, त्रिवेंद्रम से एकल नोडीय एजेंसी लेखा ब्यौरे प्राप्त नहीं होने, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण पत्र नहीं मिलने और कम प्रस्ताव मिलने के कारण हुई ।

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹2844.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17599.00 lakhs) was due to non-receipt of Single Nodal Agency Account details from Regional Geriatric Centre, Trivendrum, non-receipt of utilisation certificates and receipt of less proposals from States/ implementing agencies.

घ) "आशा लाभ पैकज"— ₹17429.00 लाख की बचत (₹51082.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण हुई ।

(d) "ASHA Benefit Package" - saving of ₹17429.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51082.00 lakhs) was due to non-fulfillment of
Department of Expenditure's conditionalities by State Governments.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" —

(क) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" — ₹1918.00 लाख की बचत (₹3285.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।

(ख) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन"— ₹7143.00 लाख की बचत (₹15046.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी करने के कारण हुई ।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹1918.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3285.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) "National Urban Health Mission" - saving of ₹7143.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15046.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(ग) "तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम/योजनायें" – ₹1465.85 लाख की बचत (₹4295.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से एकल नोडीय एजेंसी लेखा विवरण नहीं मिलने, उपयोग प्रमण पत्र नहीं मिलने और कम प्रस्ताव मिलने के कारण हुई।

(घ) "आशा लाभ पैकज" – ₹9250.00 लाख की बचत (₹17636.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण हुई।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

क) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" – ₹1183.00 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

ख) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन"– ₹3479.00 लाख की बचत (₹7790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी करने के कारण हुई ।

ग) "आशा लाभ पैकज"– ₹1437.00 लाख की बचत (₹7960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा व्यय विभाग की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण हुई ।

(घा) "आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण–राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण के लिए निधि"– ₹56884.39 लाख की बचत (₹681235.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे.)वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी करने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹1465.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4295.00 lakhs) was due to non-receipt of Single Nodal Agency Account details, non-receipt of utilisation certificates and receipt of less proposals from States/implementing agencies.

(d) "ASHA Benefit Packages" - saving of ₹9250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17636.00 lakhs) was due to non-fulfillment of Department of Expenditure's condtionalities by the State Governments.

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹1183.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(b) "National Urban Health Mission" - saving of ₹3479.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7790.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(c) "ASHA Benefit Packages" - saving of ₹1437.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7960.00 lakhs) was due to non-fulfillment of Department of Expenditure's conditionalities by State Governments.

(D) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for transfer to National Investment Fund (NHM)" - saving of ₹56884.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹681235.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VII) Under Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/अंश" –

क) "परिवार कल्याण अवसंरचना रखरखाव"– ₹7880.90 लाख की बचत (₹13481.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ववर्ती वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशियों की उपलब्धता और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण हुई ।

ख) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन–फ़्लेक्सिबिल पूल" – ₹1924.00 लाख की बचत (₹3310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

क) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन"– ₹6850.10 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14971 .00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

ख) "परिवार कल्याण–अवसंरचना रखरखाव"– ₹724.11 लाख रुपए की बचत (₹1440.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अधीन बचतें विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण हुई ।

(गा) "आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण–राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरित करने के लिए निधि"– ₹6381.49 लाख की बचत (₹27716.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी करने के कारण हुई ।

(VIII) चौदह शीर्षों के अधीन ₹5034.33 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान के 11 प्रतिशत से 77 प्रतिशत तक है।

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Family Welfare-Infrastructure Maintenance" - saving of ₹7880.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13481.00 lakhs) was due to availaibility of unspent balances of previous year and non-fulfillment of Department of Expenditure's conditionalities by Union Territory Governments with Legislature.

(b) "National Urban Health Mission-Flexible Pool" - saving of ₹1924.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3310.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "National Rural Health Mission" - saving of ₹6850.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14971.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and

(b) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - saving of ₹724.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1440.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-fulfillment of Department of Expenditure's conditionalities by the Union Territory Governments with Legislature.

(C) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for transfer to National Investment Fund (NHM) " - saving of ₹6381.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27716.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VIII) Under fourteen heads savings of ₹5034.33 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 77 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹941689.13) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹365045.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सुचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल–सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार–केंद्रीय सरकार पेंशनभोगी" – ₹45000.00 लाख । तथापि ₹44115.60 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" –

क) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान–एलोपैथी" –

(i) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल"– ₹23762. 00 लाख। तथापि ₹215750.03 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु को अनुदान" – ₹5705.00 लाख। तथापि ₹5115.42 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(iii) "पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ को अनुदान"– ₹20868.00 लाख। तथापि ₹14068.00 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(iv) "रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ़ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुद्दुचेरि" – ₹588.00 लाख। तथापि ₹575.00 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(v) "कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी वर्धा को सेवाग्राम में मेडिकल कालेज के लिए अनुदान"– ₹1489.00 लाख।

(vi) "नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ़ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग" – ₹45660.00 लाख। तथापि ₹32247.90 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

2.(I) The above savings were partly (₹941689.13 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹365045.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" - "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" – ₹45000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹44115.60 lakhs.

(B) Major Head "2210"-

(a) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" –

(i) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" – ₹23762.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹21570.03 lakhs.

(ii) "Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore" - ₹5705.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5115.42 lakhs.

(iii) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - ₹20868.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14068.00 lakhs.

(iv) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post graduate Medical Education and Research(JIPMER), Puducherry" - ₹588.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹575.00 lakhs.

(v) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" - ₹1489.00 lakhs.

(vi) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" – ₹45660.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹32247.90 lakhs.

(vii) "डा. राम मनोहर लोहिया पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली" – ₹3624.30 लाख। तथापि ₹1764.50 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(viii) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)" – ₹153366.34 लाख। तथापि ₹150586.52 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(ix) "रीजनल इंस्टिट्यूट आफ़ मेडिकल साइंसेज, इम्फ़ाल" – ₹45783.00 लाख। तथापि ₹44594.66 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(x) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट आफ़ मेंटल हेल्थ तेजपुर" – ₹6716.00 लाख।

(xi) "लाला राम स्वरूप इंस्टीट्यूट आफ़ टीबी एंड एलाइड डिसीज, नई दिल्ली" – ₹2484.00 लाख।

(ख) "जन स्वास्थ्य"–

(i) "प्रशिक्षण – कोविड–19 प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण" – ₹986.00 लाख। तथापि ₹986.14 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(ii) "रोग निवारण और नियंत्रण" –

(1) "नेशनल ड्रग डीअडिक्शन प्रोग्राम"– ₹1019.00 लाख। तथापि ₹681.31 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(2) "टेलीमेडिसिन" – ₹9680.00 लाख। तथापि ₹6892.38 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(vii) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" – ₹3624.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹1764.50 lakhs.

(viii) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹153366.34 lakhs. Actual excess, however, was ₹150586.52 lakhs.

(ix) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – ₹45783.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹44594.66 lakhs.

(x) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" – ₹6716.00 lakhs.

(xi) "Lala Ram Sarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi" - ₹2484.00 lakhs.

(b) "Public Health" –

(i) "Training - Training on COVID-19 Management" – ₹986.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹986.14 lakhs.

(ii) "Prevention and Control of Diseases" –

(1) "National Drugs De-addition Programme" – ₹1019.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹681.31 lakhs.

(2) "Telemedicine" – ₹9680.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6892.38 lakhs.

(3) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईम)" — ₹21653.00 लाख। तथापि ₹17704.79 लाख रुपए का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(3) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" – ₹21653.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹17704.79 lakhs.

(iii) "अन्य व्यय"—

(iii) "Other Expenditure" -

(1) "अन्य स्वास्थ्य योजनायें (पायलट)" — ₹061.00 लाख। तथापि 415.60 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(1) "Other Health Schemes (Pilot)" - ₹1061.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹415.60 lakhs.

(2) "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण परियोजनायें — कोविड—19 से मुकाबला कर रहे स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के लिए बीमा योजना" — ₹31420.00 लाख। तथापि ₹26221.94 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(2) "Pradhan Mantri Garib Kalyan Projects - Insurance Scheme for Health Care Workers Fighting COVID-19" – ₹31420.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹26221.94 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" — केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" —

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केंद्रीय सहायता/अंश" —

(a) "Central Assistance/Share"-

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" — ₹135792.75 लाख। तथापि 129207.93 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(i) "National Rural Health Mission" – ₹135792.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹129207.93 lakhs.

(ii) "परिवार कल्याण—अवसंरचना रखरखाव" — ₹80045.00 लाख।

(ii) "Family Welfare – Infrastructure Maintenance"-₹80045.00 lakhs.

(iii) "स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" — ₹60427.00 लाख।

(iii) "Human Resources for Health & Medical Education"– ₹60427.00 lakhs.

(iv) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" —₹39745.00 लाख। तथापि ₹39744.66 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(iv) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM- ABHIM)" – ₹39745.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹39744.66 lakhs.

(ख) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें–केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹41427.74 लाख। तथापि ₹17882.04 लाख रुपए का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" –₹24325.54 लाख। तथापि ₹22770.82 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना रखरखाव"– ₹12826.00 लाख।

(iii) "स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹24883.00 लाख। तथापि ₹17688.00 लाख रुपए का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(iv) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" –₹11356.00 लाख। तथापि 11327.67 लाख रुपए का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹48366.00 लाख। तथापि ₹44960.21 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना रखरखाव" –₹19755.96 लाख। तथापि ₹19755.42 का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(iii) "स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए मानव संसाधन" –₹12725.00 लाख। तथापि ₹9175.00 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes – National Rural Health Mission" – ₹41427.74 lakhs. Actual excess, however, was ₹17882.04 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "National Rural Health Mission" – ₹24325.54 lakhs. Actual excess, however, was ₹22770.82 lakhs.

(ii) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance"–₹12826.00 lakhs.

(iii) "Human Resources for Health & Medical Education" –₹24883.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹17688.00 lakhs.

(iv) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" – ₹11356.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11327.67 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Rural Health Mission" – ₹48366.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹44960.21 lakhs.

(ii) "Family Welfare-Infrastructure Maintenance" - ₹19755.96 lakhs. Actual excess, however, was ₹19755.42 lakhs.

(iii) "Human Resources for Health & Medical Education" – ₹12725.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9175.00 lakhs.

(iv) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन" – ₹5678.00 लाख। तथापि ₹5677.67 लाख रुपए का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

घा) मुख्य शीर्ष "3602"–"केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

क) "केंद्रीय सहायता/अंश–प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹1653.00 लाख। तथापि ₹1652.00 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

ख) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें–केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹1818.00 लाख। तथापि ₹1207.31 लाख का वास्तविक अधिक व्यय था।

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय से प्रति संतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

क) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान–एलोपैथी–रीजनल इंस्टीट्यूट आफ़ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आरआईपीएएनएस), आइजोल" – ₹7322.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) उत्तर–पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यशील शीर्ष को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

ख) "सामान्य–अंतर राष्ट्रीय सहयोग–अंतर राष्ट्रीय संगठन के लिए सदस्यता"– ₹507.79 लाख का अधिक व्यय (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो वर्ष के सदस्यता अंशदान के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ ।

(iv) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)"– ₹5678.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5677.67 lakhs.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes"-

(a) "Central Assistance/Share - Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹1653.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1652.00 lakhs.

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Health Mission" – ₹1818.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1207.31 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" –

(a) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" – excess of ₹7322.00 lakhs (against Nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "General - International Cooperation-Membership for International Organisation" -excess of ₹507.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of membership contribution of two years.

(खा) "मुख्य शीर्ष 3602"–"केंद्रीय प्रायोजित योजनायें–केंद्रीय सहायता/अंश–तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम/योजना"– ₹2380.74 लाख रुपए का अधिक व्यय (120.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में केंसर संस्थान स्थापित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ ।

(B) "Major Head 3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Tertiary Care Programme/Scheme" - excess of ₹2380.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards setting up of Cancer Institute in Union Territory of Jammu & Kashmir.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (46069.28 लाख रुपए) जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹104568.00 लाख के पूरक अनुदान की 44 प्रतिशत हैं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत हैं ।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹46069.28 lakhs) constituted 44 percent of the supplementary grant of ₹104568.00 lakhs obtained in July, 2021, December,2021 and March, 2022 and 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अधीन हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्ययं	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	422920.00			
पू.	S.	104567.00	536888.00	492953.54	-43934.46
पु.	R.	9401.00			
मुख्य शीर्ष "4211" परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4211" Capital Outlay on Family Welfare		1022.00	369.97	-652.03
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्व क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00	..	..	..
पु.	R.	-10000.00			

(I) ₹11282.90 लाख का प्रावधान (₹0.90 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अधीन पूरी तरह अप्रयुक्त रहा, इस में से ₹10000.00 लाख रुपए मुख्य शीर्ष "4552" के अधीन निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान–एलोपैथी–प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएमएसएसवाई)"– ₹5000.00 लाख; और

(खा) "आरक्षित निधि/जमा लेखा में अंतरण–केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से सहायता"– ₹5000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यशील शीर्षों को पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष"4210"–"जन स्वास्थ्य–अन्य कार्यक्रम" – के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अधीन पूरी तरह अप्रयुक्त रहे।

(का) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" – ₹5950.00 लाख का मूल प्रावधान ₹3400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹9350.00 लाख तक बढाया गया था। तथापि, ₹7008.10 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत व्यय की कम गति और शर्तें पूरी नहीं कर पाने के कारण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कम निधि जारी होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान को कम करने से हुई ।

(खा) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया"– ₹5282.00 लाख का मूल प्रावधान ₹3050.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹8332.00 लाख तक बढाया गया था। तथापि, ₹7673.85 लाख रुपए (पूरक अनुदान सहित) की बचत चिह्नित मेडिकल कालेजों को अपेक्षित भूमि आवंटित करने के लिए प्राधिकारियों से सहमति प्राप्त करने में विलंब होने और कोविड–19 महामारी के कारण हैंड आन पाठ्यक्रम नहीं चलाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹11282.90 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.90 lakh) remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹10000.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - under the following heads:-

(A) "Medical Education, Training and Research Allopathy – Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)"– ₹5000.00 lakhs; and

(B) "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Accounts – Support from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" – ₹5000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "4210" - "Public Health - Other Programmes" - remained wholly unutilised under the following heads:-

(A) "National Centre for Disease Control" – the original provision of ₹5950.00 lakhs was augmented to ₹9350.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3400.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7008.10 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure and release of less funds to National Building Construction Corporation Ltd. (NBCC) owing to non-fulfilment of conditionalities.

(B) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" – the original provision of ₹5282.00 lakhs was augmented to ₹8332.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3050.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7673.85 lakhs (including supplementary grant) – due to delay in obtaining concurrence from authorities for allocation of requisite land to the identified medical colleges and non-conducting of hands-on training courses owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "4210" – "जन स्वास्थ्य–अन्य कार्यक्रम–आपातकालीन महामारी तैयारी और अनुक्रिया" के अंतर्गत – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹48116.00 लाख रुपए की निधियां प्रदान की गई थीं, तथापि जो ₹26799.31 लाख की सीमा तक राज्यों के आवश्यक मेडिकल उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए बडी संख्या में दान प्राप्त होने के कारण आपूर्तियों/सामग्रियों की खरीद नहीं हो पाने के कारण अप्रयुक्त रही।

(IV) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें"–

क) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" – ₹1539.23 लाख रुपए की बचत (₹2192.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और जीईएम पोर्टल के माध्यम से मशीनरी और उपकरण प्राप्त नहीं होने के कारण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

ख) "अस्पताल और औषधालय"–

(i) "सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹2825.08 लाख की बचत (₹10714.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्पोर्ट्स इन्जरी सेंटर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को निधियां जारी नहीं करने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों के उपयोग के कारण हुई ।

(ii) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली"– ₹5374.31 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण में व्यय की धीमी गति, कोविड–19 महामारी के कारण चिकित्सा उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4210" - "Public Health - Other Programmes - Emergency Epidemic Preparedness and Response" - funds of ₹48116.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹26799.31 lakhs - due to non-procurement of supplies and material owing to receipt of large number of donations towards fulfilment of demand for essential medical equipments of the States.

(IV) Under Major Head"4210" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services" -

(a) "Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/Hospitals" – saving of ₹1539.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2192.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Central Public Work Department owing to slow pace of work and non-receipt of supply of machinery & equipment through GeM portal.

(b) "Hospital and Dispensaries"–

(i) "Safdarjang Hospital, New Delhi" - saving of ₹2825.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10714.00 lakhs) was due to non-release of funds to National Building Construction Corporation (NBCC) towards procurement of machinery and equipment for Sports Injury Centre Expansion Project and utilisation of less funds by the Central Public Works Department.

(ii) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹5374.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure by the Central Public Works Deparment towards construction of Super Speciality Block and non-materialisation of proposals for purchase of medical equipments owing to COVID-19 pandemic.

(iii) "आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ़ फ़िजिकल मेडिसिन एंड रीहेबिलिटेशन, मुम्बई" – ₹712.04 लाख की बचत (₹715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने के कारण हुई।

(iii) "All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai" - saving of ₹712.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹715.00 lakhs) was due to stoppage of construction activities by concerned agencies owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान–एलोपैथी" –

क) डा. आर एम एल पी जी इंस्टीट्यूट आफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च"– ₹1617.74 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों की धीमे गति के कारण हुई।

ख) राजकुमारी अमृतकौर कालेज आफ़ नर्सिंग, नई दिल्ली" ₹996.00 लाख की बचत (₹1767.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य की धीमी गति और दिल्ली में प्रदूषण होने के कारण निर्माण कार्य पर रोक के कारण हुई।

(B) "Medical Education, Training & Research – Allopathy" –

(a) "Dr. R.M.L.P.G. Institute of Medical Education and Research" - saving of ₹1617.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to slow pace of construction activities owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" - saving of ₹996.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1767.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agency, slow pace of construction work owing to COVID-19 pandemic and ban on construction work due to pollution in Delhi.

(गा) "जन स्वास्थ्य–अन्य कार्यक्रम"–

क) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम"– ₹2095.98 लाख की बचत (₹2150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के की तुलना में) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को ब्लड ट्रांसफ़्यूजन सेवायें अंतरित करने के कारण हुई ।

ख) "सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली"– ₹2303.94 लाख की बचत (₹2648.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी से निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(C) "Public Health - Other Programmes" –

(a) "National AIDS and STD Control Programme" - saving of ₹2095.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2150.00 lakhs) was due to transfer of Blood Transfusion Services to Directorate General of Health Services.

(b) "Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹2303.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2648.00 lakhs) was due to slow pace of construction activities owing to COVID-19 pandemic.

ग) "केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन" – ₹1378.43 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड) को प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियां जारी करने, गाजियाबाद में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अभिकर्ता द्वारा निधि का उपयोग नहीं करने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सीडीएससीओ/क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी और हैदराबाद में निर्माण कार्य के लिए कम निधियों का उपयोग करने के कारण हुई।

(c) "Central Drugs Standards Control Organisation" – saving of ₹1378.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to release of less funds to HLL Lifecare Ltd. (formerly Hindustan Latex Ltd.) towards procurement of lab equipments, non-utilisation of funds by the agency for construction of office building at Ghaziabad and utilisation of less funds by the Central Public Works Department towards construction work at CDSCO/ Regional Drug Testing Laboratory, Guwahati and Hyderabad.

घ) "एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना और सुदृढीकरण और स्वास्थ्य पहल–जूनेटिक रोगों और अन्य उपेक्षित ऊष्णकटिबंधीय रोगों की तैयारी और नियंत्रण के लिए सेक्टोरल समन्वयन, वायरल हेपेटाइटिस की निग. रानी, एंटी माइक्रोबाइल प्रतिरोध"– ₹1308.73 लाख की बचत (₹2144.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी के कारण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(d) "Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives-Inter Sectoral Co-ordination for preparation and Control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti Microbial Resistance" - saving of ₹1308.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2144.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Central Public Works Department owing to delay in finalisation of tender process.

ड.) "डब्ल्यू एच ओ–एस ई ए आर ओ भवन, नई दिल्ली" – ₹722.00 लाख की बचत (₹3222.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड से अतिरिक्त मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(e) "Reconstruction of WHO-SEARO Building, New Delhi" - saving of ₹722.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3222.00 lakhs) was due to non-receipt of additional demand from National Buildings Construction Corporation (NBCC).

(IV) मुख्य शीर्ष "4211" – "अन्य व्यय" – परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुम्बई"– ₹630.03 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4211" – "Other Expenditure - Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai" - saving of ₹630.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-utilization of funds by Central Public Work Department owing to COVID-19 pandemic.

(V) दो मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹526.53 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थीं और स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत और 88 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹526.53 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 26 percent and 88 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹48129.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि उपयोग मुख्य शीर्ष "4210" – "आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान–एलोपैथी" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख रुपए का सांकेतिक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

4. The above savings were partly (₹48129.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy" - under the following heads :-

(I) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल" – ₹4649.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1023.06 लाख हुआ।

(I) "Lady Harding Medical College and Smt. S.K. Hospital"- ₹4649.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1023.06 lakhs.

(II) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवा.ई)" – ₹43480.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹28744.46 लाख हुआ।

(II) "Pradhan Mantri Swasthya SurakshaYojana (PMSSY)" - ₹43480.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹28744.46 lakhs.